मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

बी.बी.सी. द्वारा प्रसारित डॉक्यूमेंट्री पर अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी को सूचित किया कि कल गुजरात में वर्ष 2002 में हुई घटनाओं को बी.बी.सी. द्वारा एक आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री का भाग-एक गलत तरीके से दिखाये जाने को लेकर सदन में एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जो पारित नहीं हो सकता क्यों कि संकल्प लाने का नियम है कि उसका प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति में आता है तब उस पर चर्चा होती है. शून्यकाल में कोई विषय उठाने के बाद उसको संकल्प में परिवर्तन किया जाना नियम प्रक्रिया के तहत नहीं है. बी.बी.सी. के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया गया है, मैं उसकी घोर निन्दा करता हूँ, क्योंकि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से नहीं अपितु बहुमत के दम पर पारित किया गया है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं आसंदी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कल जब यह संकल्प सदन में आया था तब माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस पक्ष के अधिकांश सदस्यगण सदन में मौजूद थे. इस संकल्प के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद सदन का मत लिया गया था और उसमें ध्वनि मत से हां की जीत के बाद पारित हुआ था. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधान मंत्री महोदय का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं.

2. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा बी.बी.सी. के विरूद्ध पारित संकल्प के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 152 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ.सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन व ड्रायविंग लाईसेंस के कार्ड उपलब्ध न होने से हजारों आवेदन पेंडिंग होने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदा नदी के आसपास अनेक ग्रामों में स्थित महत्वपूर्ण जीवाश्म शिलालेख, मूर्तियों के अवशेषों को ऐतिहासिकता पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षण के प्रयास किये जाने,

(3) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कालोनियों की बंद पढ़ी स्ट्रीट लाईटों को चालू कराये जाने,

(4) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की जनपद पंचायत सिवनी अंतर्गत सिंचाई सुविधा के लिए लालमाटी क्षेत्र जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री संजय यादव, सदस्य की जिला जबलपुर के बरगी शासकीय महाविद्यालय को बहु संकाय किये जाने,
(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा खाचरौद क्षेत्र के रोडों की हालत खराब होने,
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत कार्यरत रसोईयों के मानदेय में वृद्धि की जाने,
(8) श्री महेश परमार, सदस्य की नगरीय विकास की केन्द्रीय योजनाओं में उज्जैन का नाम शामिल न किये जाने,
(9) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की लोडिंग वाहनों में रेडियम लगाना अनिवार्य किये जाने तथा
(10) श्री मनोज चावला, सदस्य की उपायुक्त सहकारिता जिला कार्यालय रीवा में पदस्थ गृह निर्माण समिति के कक्ष प्रभारी द्वारा नियमों की अनदेखी कर अनियमितता किए जाने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) बालाघाट जिले में छत्तीसवीं पुलिस बटालियन में आवास बनाने में भ्रष्टाचार से सरकार को नुकशान होना

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सदस्य ने उल्लेख किया कि बालाघाट जिले में छत्तीसवीं पुलिस बटालियन में जो 25 आवास बन रहे हैं उसमें ग्राउन्ड फ्लोर को मिट्टी से भरकर भ्रष्टाचार किया गया है और इससे 25 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है. इस पर उन्होंने ध्यानाकर्षण दिया है उसे स्वीकार करें, ताकि वहां हो रही अनियमितताओं एवं गड़बड़ी को लेकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जा सके.

(2) रेत एवं गिट्टी की ट्रालियां ट्रेक्टर सड़क पर खड़े होने से दुर्घटना में मृत्यु होना

श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि राजगढ़ जिले में आज एक मोटर साईकिल दुर्घटना में 2 नौजवानों की दु:खद मृत्यु हुई है. उसका कारण यही है कि जितनी भी रेत एवं गिट्टी की ट्रालियां ट्रेक्टर के पीछे लगी रहती हैं, उनमें रेडियम लाईटिंग नहीं होती हैं इसको अनिवार्य कराएं और पुलिस भी सतर्क रहे ताकि कोई यदि सड़क पर ट्रेक्टर, ट्राली छोड़ता है तो पुलिस उसे हटवाएं.

(3) बहरी पहुँच मार्ग सिंगरौली पुल में क्रेक आ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त होना

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने उल्लेख किया कि हनुमना से लेकर बहरी पहुँच मार्ग जो सिंगरौली की तरफ जाता है उस पुल में क्रेक आ जाने से लोगों को 100 किलो मीटर की दूरी से जाना पड़ रहा है. 3 माह से जन जीवन अस्त व्यस्त है. नवीन पुल का निर्माण भी धीमी गति से हो रहा है. इस पर जो ध्यानाकर्षण दिया गया है उसे स्वीकार करें.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखीं.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कार्यसूची में अंकित (क) से (ण) तक की अधिसूचनाएं पटल पर रखीं.

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने –

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान जबलपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तथा जिला नरसिंहपुर, अनूपपुर, बैतूल, कटनी, छतरपुर एवं अलीराजपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22, तथा

(ख) मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 पटल पर रखे.

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(5) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में अधिकृत डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 54 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22, एवं

(ii) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22,

(ख) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 तथा

(ग) पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(6) श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने भोपाल के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 चूना भट्टी क्षेत्र की कालोनियों में नल कनेक्शन देने एवं शिवाजी नगर क्षेत्र में पेयजल प्रदाय के समय में परिवर्तन किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री भूपेन्द्र सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में कपिलधारा कुंआ योजना के तहत हितग्राहियों को भुगतान न होने की ओर श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया.

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकषर्ण सूचनाओं से संबंधित जानकारी मंत्रीगण द्वारा समय सीमा में विधान सभा सचिवालय को भेजने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि फरवरी-मार्च, 2023 सत्र में नियम 138 (1) के अधीन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचनाओं को विनिश्चय के पश्चात् ऑनलाईन / ऑफलाईन संबंधित विभागों को भेजकर समय-सीमा में विभागीय जानकारी चाही जाती है, परन्तु संबंधित विभागों से विभागीय जानकारी प्राप्त न होने के कारण सूचनाओं पर अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है तथा माननीय सदस्यों को भी जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है.

अतः सभी माननीय मंत्रीगण से आग्रह है कि वे अपने विभागों के संबंधित अधिकारियों को विभागीय जानकारी समय-सीमा में विधान सभा सचिवालय को भेजने हेतु निर्देशित करें.

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री जालम सिंह पटेल, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

10. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)
(2) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(3) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्रीमती सुनीता पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(5) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)
(6) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(7) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(8) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(9) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू (जिला-नीमच)
(10) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)

(11) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(12) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(13) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(14) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(15) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(16) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(17) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा' (जिला-मुरैना)
(18) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
(20) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(21) श्री घनश्याम सिंह (जिला-दतिया)
(22) श्री प्रागीलाल जाटव (जिला-शिवपुरी)
(23) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(24) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(25) श्री तरवर सिंह (जिला-सागर)
(26) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(27) सुश्री चन्द्रभागा किराड़े (जिला-बड़वानी)
(28) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
(29) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(30) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(31) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(32) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(33) श्री शिवनारायण सिंह (जिला-उमरिया)
(34) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी (जिला-खरगोन)
(35) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(36) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(37) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(38) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(39) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(40) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(41) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण) (क्रमश:)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 28 फरवरी एवं 2 एवं 13 मार्च, 2023 को हुई चर्चा के अन्त में डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने भी भाग लिया.

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पीठासीन हुए.

सभापति महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

12. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2023 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) श्री तरूण भनोत
(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(3) श्री बाला बच्चन

सभापति महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुई.

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(5) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(6) श्री हरिशंकर खटीक

सभापति महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुई.

सभापति महोदया द्वारा यह घोषणा की गई कि सदन की लाबी में चाय की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.

(7) श्री संजय यादव

13. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदया द्वारा सदन की सहमति से सदन के समय में 6 बजे तक की वृद्धि की घोषणा की गई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

14. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(8) श्रीमती कृष्णा गौर
(9) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह (चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023 (24 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 14 मार्च, 2023